

अधिकारी

दालय उपखण्ड

कठूमर जिला अलवर

2/118/2021

तारीख रजू.....

सुमन

बनाम

कल्लो वगैरा

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
--------	-----------------------------------	--

09.07.2021

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नम्बर 915, 916, 917, 919, वाके ग्राम लाठकी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में सायल के कार्यकाश्तकारी कच्चे काश्तकारी करने में किसी तरह की रुकावट व मजाहमत पैदा न करें। गैरसायल उक्त आराजी में कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य न करें।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 30.09.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 30.09.2021 को वास्तु तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
कठूमर (अलवर)  
कठूमर (अलवर)

तुषार केरीकन एच०/ए०  
11/11/21  
पत्रावली दिनांक 9/11/21  
को पेश हो।

50/9/21



355

09/11/21

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जन

नम्बर  
अहकाम  
तामील

26/4/24

पत्रावली फेरा डडी कनीस जायें उपस्थित नही किये  
केवल जायें के वा वा काल टिकारी गई कोई  
उपस्थित नही किये जायें फा 700 प्रमाण प्रकृत  
क अफक प्रकृती मे रखाज किया जावा है पत्रावली  
केतना हुकम होय नय्य के करी हा भूल वाहेके  
सलगत रहे सुनाय

26/4/24  
क...  
क... (अध्यापक)

3.4.2024  
...  
...  
...